<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील / आरटीआई / 103 / 2019

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम, ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूडौती, तह0 नगर जिला भरतपुर।

<u>बनाम</u>

उपखण्ड अधिकारी, नगर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>आदेश</u> **दिनांक 16.10.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम, ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूडौती, तह0 नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 01.08.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 811 दिनांक 20.09.19 से उपखण्ड अधिकारी, नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी, नगर ने उपलब्ध नहीं कराई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, नगर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है।

............2

उपखण्ड अधिकारी, नगर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। उपखण्ड अधिकारी, नगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तद्उपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, नगर को प्रेषित की जावे एवं अपीलांट को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगा राम)
जिला कलक्टर
भरतपुर